संख्या-212/2018/3487/26-3-2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 11 अक्टूबर 2018

विषय:- **विवेक कालेज आफ एजूकेषन बिजनौर में वर्ष 2016-17 में एम0एड0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्राप्त 31 अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को मानक से कम षुल्क प्रतिपूर्ति के अवशेष शुल्क की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2187/स0क0/ शिक्षा-अ/01/ बिजनौर/2018-19 दिनांक-18.09.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार विवेक कालेज आफ एजूकेश्न, बिजनौर में वर्श 2016-17 में एम0एड0 पाठ्यक्रम में अध्ययनत 31 अनुसूचित जाति छात्रों, जिन्हें शुल्क की धनराशि रू0-68,500 के स्थान पर कम शुल्क की धनराशि रू0-15050/- प्राप्त हुयी है, हेतु मूल शुल्क रू0-68500/- के सापेक्ष प्राप्त शुल्क रू0-15050/- के समायोजन के उपरांत देय अन्तर की धनराशि रू0-53,450/- प्रति छात्र की दर से शुल्क की कुल धनराशि रू0-16,56,950/- (रू0-सोलह लाख छप्पन हजार नौ सौ पचास मात्र) की देयता के भुगतान की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त लम्बित देयता का भुगतान अनुदान संख्या-83 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 36000.00 लाख के सापेक्ष छात्रों की लम्बित देयता रू0 30166.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात किया जायेगा।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या- 212 /2018/3487 (1)/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।